राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1019/2021

सुन्दरलाल बैरवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.01.2021
आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : –

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि आदेश दिनांक 17.07.2020, 05.08.2020, 10.08.2020 एवं 31.12.2020 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी से उसकी ग्रेच्युटी से वसूल की गई राशि रूपये 1,14,067/– एवं रूपये 4,311/– मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापिस दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय रजिस्ट्रार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से दिनांक 30.06.2020 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 21.09.2010 के द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 एवं 17.02.1998 की पालना में 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 14.07.2007 से निर्धारित किया गया और उक्त लाभ वर्ष 2010 से प्राप्त कर रहा है लेकिन आलोच्य आदेश दिनांक 17.07.2020 के द्वारा बिना किसी उचित कारण चयनित वेतनमान को निरस्त करते हुये दिनांक 25.11.2014 से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जो

नियम विरूद्ध है और आदेश दिनांक 05.08.2020 व 10.08.2020 के द्वारा राशि रूपये 1,14,067/– एवं रूपये 4,311/– की वसूली कर ली गई, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह वाले मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी कार्मिक को गलत भुगतान भी कर दिया गया है तो उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात् वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी को वेतनमान का लाभ वर्ष 2010 में दिया गया और 10 वर्ष पश्चात् चुनौती आदेश दिनांक 17.07.2020 जारी किया गया, जो उक्त विधि के विपरीत है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि आदेश दिनांक 17.07.2020, 05.08.2020, 10.08.2020 एवं 31.12.2020 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी से उसकी ग्रेच्युटी से वसूल की गई राशि रूपये 1,14,067/– एवं रूपये 4,311/– मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापिस दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसे अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया था एवं अपीलार्थी स्वयं के द्वारा ही पेंशन विभाग के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2020 एवं 06.08.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अतिरिक्त भुगतान को उसकी ग्रेच्युटी से वसूल लिया जावे। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा दी गई सहमति एवं आवेदनों से अपीलार्थी स्वयं विबंधित है। इस प्रकार यह कहना गलत है कि अपीलार्थी को अवसर नहीं दिया गया और अपीलार्थी से नियमानुसार वसूली की गई, जो नियमों के अनुरूप है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति होने के पश्चात् रूपये 1,14,067/– एवं रूपये 4,311/– वसूल की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments

have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

- ***(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).***
- ***(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.***
- ***(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***
- ***(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***
- ***(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."***

अतः न्याय निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि जहां कार्मिक सेवानिवृत्त हो गया है तो उससे वसूली न की जाये। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात् वसूली किया जाना उचित नहीं है।

परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2020, 05.08.2020, 10.08.2020 एवं 31.12.2020 को अपास्त फरमाये जाते हैं। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वो वसूली गई राशि रूपये 1,14,067/– एवं रूपये 4,311/– अपीलार्थी को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटायें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)